न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1911-पीबीआर/01 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.09.2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 154/2000-01/अपील

---

1. मलखान सिंह
2. भानुप्रताप सिंह
3. सोबरन सिंह तीनों पुत्रगण श्री करन सिंह
4. राजेन्द्र सिंह अवयस्क पुत्र करन सिंह संरक्षक माता बटोबाई बेवा करन सिंह समस्त निवासीगण- ग्राम मेंधोनाबाड़ा तह0 कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. भगवान सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी- ग्राम मेंधोनाबाड़ा तह0 कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. भारतबाई
3. शीश कुमारी
4. गुड्डी बाई पुत्री करन सिंह
5. बटोबाई बेवा करन सिंह समस्त निवासीगण- ग्राम मेंधोनाबाड़ा तह0 कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी

आदेश

(आज दिनांक 06/06/18 **.....को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 154/2000-01/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.09.2001 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के पिता द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व एक आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम मेघानोबाड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 977/2375 रकवा 1.777 पर कब्जा इन्द्राज करने की मांग की गई। तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.07.85 को कब्जा इन्द्राज के आदेश दिए गए हैं जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थिर रखा गया। किंतु अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील पर कार्यवाही करते हुए अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 05.07.94 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश तहसीलदार को दिए। जिसके पालन में तहसीलदार द्वारा पुन: कार्यवाही प्रारंभ करते हुए दिनांक 31.01.2000 को कब्जा दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए, जिसे अनुविभागीय अधिकारी अपने अपने आदेश दिनांक 30.11.2000 द्वारा स्थिर रखा गया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 13.09.2001 द्वारा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में आवेदक द्वारा वर्ष 1950 से कब्जा होना बताया है, किंतु प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक का किसी भी वर्ष में एक भी बार कब्जा दर्ज रहा हो। यह भी संभव नहीं है कि तत्समय कार्यरत पटवारियों द्वारा अपनी गश्ती के दौरान

आवेदक का कब्जा मौके पर पाया हो और अभिलेख में इन्द्राज न किया हो। आवेदक द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे उक्त भूमि किस दिनांक को एवं किससे, किस प्रकार कितनी अवधि के लिए प्राप्त हुई थी। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने स्थान पर उचित एवं न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर